पत्र संख्या : 7ब/2070 गै०यो०ज०सं०–01/2012 - 1124

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा परियोजना/
मुख्य अभियंता, सुवर्ण रेखा परियोजना चाण्डिल कम्पलेक्स;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉंची, दिनांकः 24-9-12

विषय :– माँग संख्या–12–वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लघु शीर्ष–800– अन्य व्यय, उप शीर्ष–08–विविध तथा आकस्मिक व्यय, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड–12N207000800080646 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उप–आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में व्यय हेतु **बजट मुख्य शीर्ष 2070**– अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लघु शीर्ष–800– अन्य व्यय, उप शीर्ष–08–विविध तथा आकस्मिक व्यय, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)/ 12N207000800080646 के अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक–11/बी० टी०–03/2012–13/284 बजट दिनांक–18.08.12 से प्राप्त राशि को निम्न रूप में दर्शाये गये निम्नांकित कार्यालय को उप–आवंटित किया जाता है :–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	कार्य का नाम	कुल आवंटन (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	**बराज प्रमण्डल, गालूडीह**	**चाण्डिल कम्पलेक्स**	स्व० कामेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह जिनकी मृत्यु दिनांक–21.02.2009 को अपने कार्यस्थल जाने के क्रम में हुई दुर्घटना के कारण दिनांक–13.03.2009 को हुई, की आश्रित विधवा पत्नी श्रीमती निर्मला देवी को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान हेतु।	**10.00**	

आवंटित राशि – ₹ दस लाख मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2012–2013 में वित्त विभाग के आवंटन पत्रांक–284 बजट, दिनांक–18.08.12 द्वारा प्राप्त राशि ₹ 10.00 (दस लाख) के अन्तर्गत् है।
3. **निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एवं नियमानुसार भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब भेजेंगें।**
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
5. उप–आवंटित राशि का व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत् स्वीकृत्यादेश सं०–3/विविध–7–39/2011/1362 दिनांक–16.06.12 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत् आवंटन में अंकित शर्त्तों के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन/ उपआवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से अन्य दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰–वित्त विभाग का आवंटनादेश
सं॰–284/ दि॰–18.08.2012 की प्रति

(एस॰ के॰ शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 114 रॉंची, दिनांक :– 24-9-12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/घाटशिला/जमशेदपुर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰–वित्त विभाग का आवंटनादेश
सं॰–284/ दि॰–18.08.2012 की प्रति

(एस॰ के॰ शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 114 रॉंची, दिनांक :– 24-9-12

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/श्रीमती निर्मला देवी, तमिलिया, पो॰ कपाली, जिला सरायकेला–खरसावॉं/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	**(एस॰ के॰ शतपथी)**
सहायक अभियंता	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	**प्रधान सचिव**